



2026:AHC:53123

इलाहाबाद उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

रिट - सी संख्या - 9608/2026

श्रीमती शिमला देवी

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 2 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(ओं) के अधिवक्ता

: दीपक सिंह यादव, विनोद कुमार

प्रतिवादि(यों) के अधिवक्ता

: सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या – 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाड़िया

1. याची के विद्वान अधिवक्ता तथा प्रतिवादी-राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता को सुना गया एवं अभिलेख का अवलोकन किया गया।
2. उपर्युक्त पारित किए जाने वाले आदेश के दृष्टिगत, प्रतिवादीगण को नोटिस निर्गत कर इस याचिका को इस न्यायालय के समक्ष लंबित रखने से कोई उपयोगी उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा। तथापि, यदि प्रतिवादि/प्रतिवादीगण उक्त आदेश से व्यथित होते हैं, तो उन्हें आदेश के संशोधन/परिवर्तन हेतु आवेदन प्रस्तुत करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
3. याची द्वारा वर्तमान याचिका इस प्रार्थना के साथ प्रस्तुत की गई है कि प्रतिवादी संख्या 2/तहसीलदार (न्यायिक), तहसील-बदलापुर, जनपद जौनपुर को निर्देशित किया जाए कि वह वाद संख्या 16094 वर्ष 2025, कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या टी-202514360216094 का निस्तारण यथाशीघ्र करे।
4. याची के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह प्रस्तुत किया गया कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 34 के उप-नियम (7) के अंतर्गत दायर प्रार्थना पत्र काफी समय से लंबित है। इस स्तर पर यह उचित होगा कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 34 के उप-नियम (7) का उल्लेख किया जाए, जिसमें यह अनिवार्य किया गया है कि ऐसे प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए जाने पर संबंधित प्राधिकारी को उसे विधि के अनुसार, समयबद्ध अवधि के भीतर निस्तारित करना आवश्यक है। नियम 34 के उप-नियम (7) इस प्रकार है:-

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

“(7). तहसीलदार यह प्रयास करेगा कि नामांतरण के निर्विवाद वाद का निस्तारण वाद के पंजीकरण की तिथि से 45 दिनों की अवधि के भीतर तथा विवादित नामांतरण वाद का निस्तारण 90 दिनों की अवधि के भीतर कर लिया जाए और यदि कार्यवाही उक्त अवधि के भीतर पूर्ण नहीं होती है, तो उसके कारण अभिलेखित किए जाएंगे।”

5. उक्त प्रावधान के परिप्रेक्ष्य में तथा पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा किए गए निवेदनों के आलोक में, प्राधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे उक्त प्रार्थना पत्र को विचारार्थ लेकर उसका निस्तारण उसके गुण-दोष के आधार पर, विधि के अनुसार यथाशीघ्र, अधिमानतः इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तिथि से तीन माह की अवधि के भीतर करें, बिना अनावश्यक स्थगन दिए, बशर्ते कि कोई विधिक बाधा न हो।
6. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, रिट याचिका का निस्तारण किया जाता है।
7. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस न्यायालय ने पक्षकारों की प्रतिद्वंद्वी दलीलों के गुण-दोष पर कोई मत व्यक्त नहीं किया है।

(प्रकाश पाडिया, न्यायमूर्ति)

16 मार्च, 2026